कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-4) निरीक्षण

---

क्रमांक प0 5(13)प्र0सु0-4/92 जयपुर, दिनांक 20 अक्टूबर, 1993.

<u>आदेश</u>

विषय:- उपखण्ड स्तरीय स्तर पर समिति का गठन ।

इस विभाग के सम संख्यक आदेश दिनांक 2-2-93 के क्रम में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सरकारी कार्यालय, स्वायत्तशासी संस्थाओं, अस्पतालों एवं स्कूलों आदि में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए समस्त उपखण्डीय स्तर पर उप जिलाधीश के संयोजन में समिति गठित की जाये । अत: समस्त जिलाधीशों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने अधीन समस्त उप जिलाधीशों के संयोजन में <u>उपखण्डीय स्तर पर</u>, दो <u>सदस्यीय समिति का गठन करें जिसमें उप जिलाधीश के अतिरिक्त एक तहसीलदार होना चाहिए</u> । यह समिति उपखण्डीय कार्यालयों एवं उसके अधीन तहसील के सभी कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों आदि के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करेगी । इसके लिए समिति के सदस्य थोड़े-थोड़े समय के अन्तराल पर इनकी उपस्थिति की जांच करेंगे एवं अनुपस्थित पाये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए जिलाधीश को लिखित में सूचना देंगे । उप जिलाधीश किये गये कार्यों का मासिक जांच प्रतिवेदन भी जिलाधीश को प्रेषित करेंगे ।

जिलाधीश अपने अधीन समस्त उप जिलाधीशों से प्राप्त उपरोक्त मासिक विवरण की समीक्षा कर अनुशासन के मामले में अपने स्तर से कार्यवाही करेंगे । जिलाधीश अपने जिले की इन समितियों द्वारा किये गये कार्यों का मासिक प्रतिवेदन प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-4) विभाग, सचिवालय, जयपुर को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक भेजने की व्यवस्था करेंगे । जिलाधीश इस आदेश के अन्तर्गत उप जिलाधीशों के संयोजन में गठित समिति संबंधी आदेश की एक प्रति भी प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-4) विभाग को प्रेषित करेंगे ।

(अरुण कुमार)
प्रमुख शासन सचिव।
कृ0प्र0सु0